भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 433

उत्तर देने की तारीख : 05.12.2023

इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023

433. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में वृद्धावस्था की ओर जनसांख्यिकीय बदलाव के दौरान वृद्धजनों की देखभाल से संबंधित चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में से विशिष्ट कार्यनीतियों को चिन्हित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सशक्तिकरण में सक्रिय रूप से लगे समुदाय-आधारित संगठनों के साथ किस प्रकार सहयोग करने की योजना बनाएगी; और

(ग) क्या सरकार की बुजुर्गों की देखभाल से संबंधित पहलों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है, जैसा कि कॉर्पोरेट प्रयासों के संबंध में रिपोर्ट के निष्कर्षों में उल्लेख किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) से (ग): संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) तथा अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) द्वारा भारत में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी ''इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023'' तैयार की गई है। तथापि, भारत सरकार पहले से ही विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 विधायी कार्यढांचा जैसे माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण एवं कल्याण (एमडब्ल्यूपीएससी) अधिनियम 2007, नीति जैसे राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, 1999, स्कीम तथा कार्यक्रम जैसे अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, वरिष्ठ

नागरिक बचत स्कीम आदि के माध्यम से वृद्धजनों की देखभाल संबंधी चुनौतियों का समाधान कर रही है तथा अवसर उपलब्ध करा रही है।

भारत सरकार पहले से ही अपनी स्कीमों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण हेतु गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों, क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केन्द्र तथा राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के साथ मिलकर कार्य कर रही है। निजी क्षेत्र के पास पहले से ही कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से वृद्धजन कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का प्रावधान है।

*****